

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 229]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 जुलाई 2023—श्रावण 3, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2023

क्र. 12233-156-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 जुलाई 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०२३

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०२३

[दिनांक २५ जुलाई, २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २५ जुलाई, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

संक्षिप्त नाम.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०२३ है.

वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २,७७,१८,७४,८७,८०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियाँ, जिनका कुल योग रुपये सत्ताईस हजार सात सौ अठ्ठारह करोड़ चौहत्तर लाख सत्तासी हजार आठ सौ होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०२३-२०२४ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दिए जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियाँ, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियाँ			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
	. भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	७,६१,९०,००,८००	७,६१,९०,००,८००
००१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	२,८१,६०,०००	२१,००,०००	३,०२,६०,०००
		पूंजी	८,५९,२०,०००	०	८,५९,२०,०००
००२.	विमानन	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
००३.	गृह	राजस्व	२०,३५,२२,७००	०	२०,३५,२२,७००
		पूंजी	२४,००,००,१००	०	२४,००,००,१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
००५.	जेल	राजस्व	२,००,०००	०	२,००,०००
००६.	वित्त	राजस्व	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
००७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	१,१०,००,००,१००	०	१,१०,००,००,१००
००८.	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	राजस्व	१००	०	१००
०१०.	वन	राजस्व	३५,४१,०६,२००	०	३५,४१,०६,२००
		पूँजी	९८,२७,००,०००	०	९८,२७,००,०००
०१२.	ऊर्जा	राजस्व	३१,९०,००,००,०००	०	३१,९०,००,००,०००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	७७,४६,५०,००,०००	०	७७,४६,५०,००,०००
०१४.	पशुपालन एवं डेयरी	राजस्व	२००	०	२००
०१७.	सहकारिता	पूँजी	५,००,००,००,०००	०	५,००,००,००,०००
०१८.	श्रम	राजस्व	३,१५,००,००,०००	०	३,१५,००,००,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	९,२१,०५,५९,५००	०	९,२१,०५,५९,५००
		पूँजी	७१,७१,६६,६००	०	७१,७१,६६,६००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	४०,००,००,०००	०	४०,००,००,०००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	१०,००,०१,४००	०	१०,००,०१,४००
		पूँजी	८,६०,००,०१,१००	१,४०,००,००,०००	१०,००,००,०१,१००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०२३.	जल संसाधन		
	पूंजी	७,९०,७५,०१,३००	०
			७,९०,७५,०१,३००
०२४	लोक निर्माण कार्य		
	राजस्व	३,०६,००,००,१००	०
	पूंजी	२४,१८,००,०२,७००	०
			३,०६,००,००,१००
			२४,१८,००,०२,७००
०२७.	स्कूल शिक्षा		
	राजस्व	१००	०
	पूंजी	९००	०
			१००
			९००
०२९	विधि और विधायी कार्य		
	राजस्व	५५,०१,५००	०
			५५,०१,५००
०३०	ग्रामीण विकास		
	राजस्व	६३,००,००,०००	०
			६३,००,००,०००
०३१	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी		
	राजस्व	५७,७५,००,०००	०
			५७,७५,००,०००
०३२	जनसंपर्क		
	राजस्व	५७,००,००,०००	०
			५७,००,००,०००
०३३	जनजातीय कार्य		
	राजस्व	१००	०
	पूंजी	१०,५०,००,०००	०
			१००
			१०,५०,००,०००
०३४	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण		
	राजस्व	५,०५,००,००,०००	०
			५,०५,००,००,०००
०३७.	पर्यटन		
	राजस्व	३८,५४,४००	०
			३८,५४,४००
०३८.	आयुष		
	राजस्व	५,००,००,०००	०
			५,००,००,०००
०३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.		
	राजस्व	५,००,१६,८०,०००	०
			५,००,१६,८०,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०४०.	पंचायत	राजस्व	४,७०,००,००,०००	०	४,७०,००,००,०००
०४१.	प्रवासी भारतीय	राजस्व	२०,००,००,१००	०	२०,००,००,१००
०४३.	खेल और युवा कल्याण	राजस्व	२०,००,०१,०००	०	२०,००,०१,०००
०४५.	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	पूंजी	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
०४६.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व पूंजी	६,००,०१,२०० ५००	० ०	६,००,०१,२०० ५००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	पूंजी	२,७८,७४,५००	०	२,७८,७४,५००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	३९,९५,००,००,७००	०	३९,९५,००,००,७००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व पूंजी	३०० ८,००,००,०००	० ०	३०० ८,००,००,०००
०५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	७,५९,००,०००	०	७,५९,००,०००
०५२.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	१,१०,००,००,१००	०	१,१०,००,००,१००
०५४.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	२,५०,००,००,०००	०	२,५०,००,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०५५.	महिला एवं बाल विकास			
	राजस्व	३०,५५,३३,३७,५००	०	३०,५५,३३,३७,५००
	पूंजी	१,६७,०८,९२,०००	०	१,६७,०८,९२,०००
	योग :			
	{ राजस्व :	१,७८,३६,९३,२६,६००	७,६२,११,००,८००	१,८५,९९,०४,२७,४००
	{ पूंजी :	८९,७९,७०,६०,४००	१,४०,००,००,०००	९१,१९,७०,६०,४००
	वृहद्-योग :	२,६८,१६,६३,८७,०००	९,०२,११,००,८००	२,७७,१८,७४,८७,८००

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2023

क्र. 12233-156-इक्कीस-अ(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) अधिनियम, 2023 (क्रमांक 18 सन् 2023) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 18 OF 2023

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 3) BILL, 2023

[Received the assent of the Governor on the 25th July, 2023; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 25th July, 2023.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2023-2024.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fourth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2023.

Issue of Rs. 2,77,18,74,87,800 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2023-2024.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. Twenty Seven Thousand Seven Hundred Eighteen Crore Seventy Four Lakh Eighty Seven Thousand Eight Hundred towards defraying the several charge which shall come in the course of payment during the Financial Year 2023-24 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
	Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt.	Revenue	0	7,61,90,00,800	7,61,90,00,800
001.	General Administration	Revenue	2,81,60,000	21,00,000	3,02,60,000
		Capital	8,59,20,000	0	8,59,20,000
002.	Aviation	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
003.	Home	Revenue	20,35,22,700	0	20,35,22,700
		Capital	24,00,00,100	0	24,00,00,100
005.	Jail	Revenue	2,00,000	0	2,00,000
006.	Finance	Revenue	2,00,00,000	0	2,00,00,000
007.	Commercial Tax	Revenue	1,10,00,00,100	0	1,10,00,00,100
008.	Expenditure On Land Revenue, District Administration And Disaster Relief.	Revenue	100	0	100
010.	Forest	Revenue	35,41,06,200	0	35,41,06,200
		Capital	98,27,00,000	0	98,27,00,000
012.	Energy	Revenue	31,90,00,00,000	0	31,90,00,00,000
013.	Farmers Welfare and Agricultural Development.	Revenue	77,46,50,00,000	0	77,46,50,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
014.	Animal Husbandary and Dairying.	Revenue	200	0	200
017.	Co-operation	Capital	5,00,00,00,000	0	5,00,00,00,000
018.	Labour	Revenue	3,15,00,00,000	0	3,15,00,00,000
019.	Public Health and Family Welfare.	Revenue	9,21,05,59,500	0	9,21,05,59,500
		Capital	71,71,66,600	0	71,71,66,600
020.	Public Health Engineering	Revenue	40,00,00,000	0	40,00,00,000
022.	Urban Development and Housing.	Revenue	10,00,01,400	0	10,00,01,400
		Capital	8,60,00,01,100	1,40,00,00,000	10,00,00,01,100
023.	Water Resources	Capital	7,90,75,01,300	0	7,90,75,01,300
024.	Public Works	Revenue	3,06,00,00,100	0	3,06,00,00,100
		Capital	24,18,00,02,700	0	24,18,00,02,700
027.	School Education	Revenue	100	0	100
		Capital	900	0	900
029.	Law and Legislative Affairs	Revenue	55,01,500	0	55,01,500
030.	Rural Development	Revenue	63,00,00,000	0	63,00,00,000
031.	Planning Economics and Statistics	Revenue	57,75,00,000	0	57,75,00,000
032.	Public Relations	Revenue	57,00,00,000	0	57,00,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
033.	Tribal Affairs			
	Revenue	100	0	100
	Capital	10,50,00,000	0	10,50,00,000
034.	Social Justice and disabled Person welfare.			
	Revenue	5,05,00,00,000	0	5,05,00,00,000
037.	Tourism			
	Revenue	38,54,400	0	38,54,400
038	Ayush			
	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000
039	Food, Civil Supplies and Consumer Protection.			
	Revenue	5,00,16,80,000	0	5,00,16,80,000
040.	Panchayat			
	Revenue	4,70,00,00,000	0	4,70,00,00,000
041.	Overseas Indian Department			
	Revenue	20,00,00,100	0	20,00,00,100
043.	Sports and Youth Welfare			
	Revenue	20,00,01,000	0	20,00,01,000
045.	Public Assets Management			
	Capital	25,00,00,000	0	25,00,00,000
046.	Science and Technology			
	Revenue	6,00,01,200	0	6,00,01,200
	Capital	500	0	500
047.	Technical Education, Skill Development And Employment.			
	Capital	2,78,74,500	0	2,78,74,500
048.	Narmada Valley Development.			
	Capital	39,95,00,00,700	0	39,95,00,00,700

(1)	(2)	(3)	
		Rs.	Rs.
049.	Scheduled Caste Welfare		
	Revenue	300	0
	Capital	8,00,00,000	0
050.	Horticulture And Food Processing.		
	Revenue	7,59,00,000	0
052.	Medical Education		
	Revenue	1,10,00,00,100	0
054.	Backward Classes Welfare		
	Revenue	2,50,00,00,000	0
055.	Women and Child Development.		
	Revenue	30,55,33,37,500	0
	Capital	1,67,08,92,000	0
Total	Revenue	— 1,78,36,93,26,600	7,62,11,00,800
	Capital	— 89,79,70,60,400	1,40,00,00,000
	Grand Total	— 2,68,16,63,87,000	9,02,11,00,800